न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 25/2022

बउनवान

1. संजय पुत्र मोहनलाल
2. पुरूषोत्तम पुत्र मोहनलाल
3. इन्द्रराज पुत्र मोहनलाल
4. प्रदीप पुत्र मोहनलाल
5. कौशल्याबाई पुत्री मोहनलाल
6. सुमित्राबाई पुत्री मोहनलाल जातियान माली निवासीगण सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (अपीलांटगण)

बनाम

1. चौथमल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी सीसवाली जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी इंतकाल संख्या 326 दिनांक 2–10–2001 तहसीलदार मांगरोल
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट (अपीलांटगण)

निर्णय दिनांक 23.10.2024

अपीलांटगण द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 326 दिनांक 2–10–2001 न्याय कानून एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 4636/5658 रकबा 2.43 हेक्टे0 अपीलांटगण के नाना श्री भैरूलाल के नाम दर्ज थी तथा भैरूलाल के पश्चात उक्त आराजी तीजू बेवा भैरूलाल, प्रेमबाई, रूकमणी, पुत्रियां भैरूलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई जिसमे रूकमणी, अपीलांटगण की माता है अपीलांटगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

मोहनलाल (मृतक)

-----I---I----------

भूलीबाई (अन्यत्र नाते चली गई) — रूकमणी फोत

I

1– संजय पुत्र
2– पुरूषोत्तम पुत्र
3– इन्द्रराज पुत्र
4– प्रदीप पुत्र
5– कौशल्याबाई पुत्री
6– सुमित्राबाई पुत्री

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.20 10:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त आराजियात अपीलांटगण की माता रूकमणी के फोत होने के पश्चात अपीलांटगण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

जिला कलक्टर

नामान्तकरण संख्या 326 मे गलत रूप से चौथमल पुत्र मोहनलाल का नाम उपरोक्त आराजियात पर दर्ज कर दिया गया जबकि चौथमल मृतक रूकमणी का पुत्र न होकर भूलीबाई का पुत्र है तथा भूलीबाई ग्राम जेथल जिला बूंदी मे पूर्व मे नाते जा चुकी है तथा उपरोक्त आराजियात अपीलांटगण को अपनी माता से प्राप्त हुई है जिस पर रेस्पो० कम 1 का कोई अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक रूकमणी के वैध वारिसानो की जांच नहीं कर गलत नामान्तकरण खोला गया है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2—10—2001 नामान्तकरण संख्या 326 निरस्त कर प्रकरण को इस दिशा निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि मृतक रूकमणी के वैध वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट कम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने एकपक्षीय बहस वकील अपीलांटगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी अपीलांटगण के नाना भैरूलाल के नाम दर्ज थी तथा भैरूलाल के पश्चात उक्त आराजी तीजू बेवा भैरूलाल, प्रेमबाई, रूकमणी, पुत्रियां भैरूलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई जिसमे रूकमणी, अपीलांटगण की माता है। तथा अपीलांटगण की माता रूकमणी की मृत्यु उपरांत खोले गये नामान्तकरण में अपीलांटगण के पिता मोहनलाल की पहली पत्नि भूलीबाई, जो कि ग्राम जेथल जिला बूंदी मे पूर्व मे नाते जा चुकी है, के पुत्र चौथमल का नाम भी दर्ज कर दिया। जबकि चौथमल अपीलांटगण की माता रूकमणी का पुत्र नहीं है। चौथमल का अपीलांटगण को अपनी माता से प्राप्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम सीसवाली का नामान्तकरण संख्या 326 दिनांक 02.10.2001 निरस्त फरमाया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम अभिभाषक अपीलांट के तर्क से पूर्णतया सहमत हैं कि अपीलांटगण को उनकी माता रूकमणी से प्राप्त आराजीयात में अपीलांटगण के पिता मोहनलाल की पूर्व पत्नि भूलीबाई के पुत्र चौथमल का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। रेस्पोडेंट कम 1 चौथमल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम सीसवाली का नामान्तकरण संख्या 326 दिनांक 02.10.2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक रूकमणी बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि मोहनलाल के वारिसान की नये सिरे से जांच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.[illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.20 10:12:11 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)